

कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हकदारी) पंजाब व यू.टी. चंडीगढ़
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E) PUNJAB, CHANDIGARH

कार्यालय आदेश/प्रशासन-I/ए/2022-2023/376
Office Order No. Admn I/A/2022-2023/376

दिनांक:- 24.01.2023
Date: - 24.01.2023

कार्यालय आदेश
OFFICE ORDER

मुख्यालय के परिपत्र दिनांक 20 मई 2009 व दिनांक 14.11.2019 के अनुपालन में समेकित दिशानिर्देश संशोधित सुनिश्चित करियर उन्नयन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के सन्मुख अंकित तिथि एवं वेतनमान में वितीय उन्नयन के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है:-

The competent authority is pleased to grant Financial Upgradation under Modified Assured Career Progression Scheme circulated vide Headquarters E Mail No. 28 Audit Rules dated 20th May, 2009 and consolidated guidelines circulated vide HQ's office letter dated 14.11.2019 to the following group 'B' non gazetted official:-

| क्रमांक Sr. No. | नाम सर्व. श्री./श्रीमती Name Sh/Smt. | पदनाम Designation | नियुक्ति की तिथि Date of Joining | एम.ए.सी.पी. की संख्या Which MACP due | देय तिथि When due |
|-----------------------|---|-----------------------------|-------------------------------------|---|----------------------|
| 1. | श्री हरप्रीत सिंह Sh. Harpreet Singh | वरिष्ठ लेखाकार Sr. Acctt | 09.09.2002 (AN) | 3 rd | 06.01.2023 |

संबंधित कर्मचारी को उक्त लाभ पूर्ण रूप से वैयक्तिक आधार पर प्रदान किया गया है तथा उनकी वर्तमान संवर्ग में वरिष्ठता से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। उक्त लाभ का सम्बन्ध सम्बन्धित कर्मचारी के वास्तविक/कार्यात्मक प्रोन्नति से नहीं है।

The upgradation is personal to the official and has no relevancy to his seniority position vis a vis other officials in the cadre. There shall be no change in the designation, classification or higher status.

अगले वेतन वृद्धि का निर्धारण किये जाने का विकल्प इस योजनान्तर्गत नियम 22 (I) a (i) के अनुसार उपलब्ध रहेगा। तथापि, नियमित पदोन्नति, यदि वे एम.ए.सी.पी के अंतर्गत यथा प्रदत्त समान लेवल में हुई है तो उस समय वेतन निर्धारण का और लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा।

The pay in the level admissible will be fixed under the provision of 22 (I) (a) (i). The official may exercise his option within one month from the date of issue of this order. There shall, however, be no further fixation of pay at the time of regular promotion if it is in the same pay level as granted under Modified Assured Career Progression Scheme.

हस्ता/-

उप महालेखाकार (प्रशासन)
Deputy Accountant General (Admn)